फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

दुर्गा बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र अ0धा0 136 एल.आर.ए. मु0नं0–78/2021

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/06/25	पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि भूमि आराजी खसरा नम्बर 665, 677 वाके ग्राम डूंगर सिकराय में स्थित है। उक्त भूमि दुर्गा, प्रभू पुत्र हिरया एवं प्रेमा पुत्र हिरया जाति बैरवा के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज है जबकि प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 के पिता का नाम दीपा है तथा पेमा जो कि फौत हो चुका है जिसके वारिसान 3 लगायत 9 है लेकिन पेमा के पिता का नाम भी राजस्व जमाबंदी में हिरया दर्ज है जो कि गलत है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में सही नाम दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार सिकराय को प्रदान किए जावे। इत्यादि पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सिकराय से जवाब तलब किया गया। तहसीलदार सिकराय के जवाब के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि के दर्ज खातेदारान के पिता का सही नाम दीपा ही था लेकिन त्रुटिवश हिरया दर्ज कर दिया गया था जो आत दिनाक तक बदस्तूर कायम है तथा जाति भी प्रार्थीगण की कोली है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में बैरवा दर्ज है जो कि गलत है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित विवादित आराजी में दर्ज खातेदारान का नाम शुद्ध करते हुए दुर्गा पुत्र दीपा, प्रभू पुत्र दीपा, पेमा पुत्र दीपा जाति कोली दर्ज करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को प्रदान किए जाते है। तहसीलदार सिकराय को पालना तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	